

[Section 30]

[Section 30]

[Section 30]

... of the said post, age of the said Schedule.

... of Company Affairs, Official Assistant) Recruitment

... ion and the Scale of pay

... rent to the said post, age of the said Schedule.

g or person.

e under the personal law or so doing exempt any

y or expedient so to do. rules with respect to any

and other concessions for special categories of his regard

f Age limit for direct recruits

es

25 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
 Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipts of applications from

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

8	9	10	11
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation, absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
Essential : M. Com. or degree in Commerce/Economics with degree in Law from a recognized university or equivalent. Note :— (1) Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission/Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. (2) The qualification(s) required experience is relaxable at the discretion of the SSC in case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe if at any stage of selection the SSC is of the opinion that sufficient under the candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to available to fill up the vacancy reserved to them	Not applicable	Two years	(1) 50% by Direct Promotion through Staff Selection Commission (2) 50% by Promotion

... in India and the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Labaul and Spiti districts and Pangl sub-division and Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)

5

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Upper Division Clerk/Suptd Grade III working the regional offices of Department of Company Affairs having 8 years regular service after appointment thereto.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (1) Chairman— Region Director of the Region. (2) Member—Registrar of Companies/ Official Liquidator (Junior Administrative Grade) Level Officer. (3) Member—Under Secretary, Department of Company Affairs. (4) Member—An officer belonging to Scheduled caste/Scheduled Tribe category not below the level of Under Secretary to the Government of India.	Not applicable

[F No. 26011/2/98-Ad II]

A. RAMASWAMY, Jr. Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

सा. का. नि. 59 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी विधि प्रशासन विभाग (संमूह क, ख और ग पद) भर्ती नियम, 1962 को, जहां तक उनका संबंध अभिलेखपाल के पद से है उन बातों के सिवाय अधिन्नत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से तोप किया गया है कंपनी कार्य विभाग में क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय परिसमापक के कार्यालयों में अभिलेखपाल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी कार्य विभाग, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय परिसमापक का कार्यालय (अभिलेखपाल) भर्ती नियम, 2000 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता :** वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाच्य, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निबाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।